कार्यवृत्त

मंगलवार, 12 बैशाख, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 02 मई, 2017)

खण्ड–48
अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

नेता प्रतिपक्ष ने रंगदारी वसूली के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को प्राथमिकता पर लिये जाने का अनुरोध किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें, तत्पश्चात् इस पर विचार कर लिया जायेगा।

प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिए गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 20 सूचनायें प्राप्त हुई है, जिसमें से वे 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। इस पर मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने सभी सूचनायें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि सभी सूचनायें ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार की जाती है और सभी निम्न सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई :–

1.	श्री महेन्द्र भट्ट	शासनादेश जारी होने के बाद भी जनपद चमोली के जोशीमठ के पैनखण्डा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम–1994 का लाभ न मिलने से क्षेत्र में व्याप्त जनाक्रोश के सम्बन्ध में।
2.	श्री धन सिंह नेगी	विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नई टिहरी के पास डायजर में ईको पार्क वा चिड़ियाघर बनाये जाने के सम्बन्ध में।
3.	श्री राजकुमार ठुकराल	जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रूद्रपुर में यातायात नगर की स्थापना के सम्बन्ध में।
4.	काजी मौ0 निजामुद्दीन	समाज कल्याण विभाग में लम्बे समय से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन न मिलने के सम्बन्ध में।
5.	कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''	उत्तराखण्ड में पूर्व की भांति औद्योगिक विकास हेतु आयकर, उत्पादन शुल्क, आर्थिक प्रोत्साहन आदि में छूट प्रदान किये जाने हेतु विशेष औद्योगिक नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में।
6.	श्री देशराज कर्णवाल	जनपद हरिद्वार में हर की पैड़ी स्थित संत शिरोमणि गुरू रविदास जी के मन्दिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में।
7.	श्री खजान दास	जनपद देहरादून के अन्तर्गत दून मेडिकल कालेज को देहरादून से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।
8.	श्री राजकुमार	उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में दिव्यांगों (मूकबधिर) की शिक्षा व्यवस्था न होने से हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में।

9. श्री प्रीतम सिंह पंवार	विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के यप्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, थत्यूड़ (जौनपुर) को पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत संचालित कर रही संस्था राजभरा प्रा0लि0 द्वारा सेवायोजित स्थानीय सेवा कर्मियों को एक वर्ष से मानदेय का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में।
10. श्री हरीश सिंह	विधान सभा क्षेत्र धारचूला के तहसील बंगापानी के अन्तर्गत सेरा–सिपतोला सड़क, तहसील मुन्स्यारी के समकोट –डोकला के सड़क निर्माण हेतु बाण्ड न होने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में।
11. श्री प्रीतम सिंह	विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत कालसी–चकराता मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में।
12. श्री राम सिंह कैड़ा	विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत धारी, रामगढ़, ओखलकाण्डा में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण न होने से जनता को हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में।
13. श्री सुरेन्द्र सिह जीना	विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत सल्ट पॉलीटैक्निक में वर्षो से स्वीकृत विषयों को प्रारम्भ न करने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
14. श्री विशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत भण्डारी गांव से बोकटा तथा हाट से मल्ली मिर्थी लगड़ा सड़कों के निर्माण हेतु द्वितीय चरण की धनराशि न मिलने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में।
15. श्री गणेश जोशी	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत भटवेड़ी पट्टी की जातियों/समुदायों को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।
16. श्री राजेश शुक्ला	जनपद ऊधमसिह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत पं0 गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में 07वे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
17. श्री सहदेव सिहं पुण्डीर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आरकेडिया ग्राण्ट में उत्पन्न पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।
18. श्री सुरेश राठौर	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत बुग्गावाला में उप तहसील खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में।
19. श्री संजय गुप्ता	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लकसर के अन्तर्गत ग्राम फतवा से लेकर ग्राम गंगदासपुर तक गंगा नदी के कमजोर तटबन्ध की सुरक्षा हेतु स्टड बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में।
20. श्री विनोद कण्डारी	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत हिंडोलाखाल–पौड़ीखाल से भासौ मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

मा0 सदस्य, काजी मौ0 निजामुद्दीन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि कार्य संचालन के निमयावली के नियमों में सत्रावसान के पश्चात एक माह बाद प्रश्न लिये जाने का प्रावधान है। नियम–32 में प्रश्नों की सूचना 20 दिन पूर्व दिये जाने का प्रावधान है। जिसे इस सत्र में विशेष परिस्थतियों में शिथिलता देते हुए 15 दिन कर दिया गया है। एक माह के बाद की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है क्योंकि वहॉ मा0 विधायकों की संख्या ज्यादा है यहॉ परिस्थितियां अलग है। यहॉ विधायकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। मा0 सदस्यों को प्रश्न लगाने के लिये कम समय मिलता है। अतः एक माह की अवधि को स्थायी रूप से कम कर दिया जाना चाहिये ताकि मा0 सदस्यों का प्रश्न लगाने का पर्याप्त समय मिल सके। इस पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि नियमावली में प्रश्न प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय है तथापि सदन चाहे तो प्रकरण नियम समिति के विचारार्थ सन्दर्भित किया जा सकता है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 सदस्य द्वारा नियम–32 के सन्दर्भ में प्रश्न उठाया गया है वह वस्तुतः नियमों में परिवर्तन विषयक है। नियम समिति के सम्मुख मा0 सदस्य द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु यथासमय विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा।

संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2017 के प्रथम सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्यमंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 (2) के अधीन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के'' 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन'' संख्या–1 एवं ''31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन'' (वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या–2) सदन के पटल पर रखा।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 01 मई, 2017 की बैठक में दिनांक 02 मई, 2017 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नवत् रखे जाने की सिफारिश की हैः–

मई, 2017

02 मंगलवार विधायी कार्यः–

1. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण। **(1 घण्टा)**
2. उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत हैं। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को वे नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री करन माहरा, काजी मौ0 निजामुद्दीन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा कथित रूप से रंगदारी मांगे जाने सम्बन्ध में नियम–310 की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत विचार व्यक्त किये। इस पर कतिपय सदस्य जोर–जोर से बोलने लगे, जिससे सदन में

घोर व्यवधान होने लगा। विपक्ष के कतिपय सदस्य 'वेल' में आ गये। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 संसदीय कार्यमंत्री का उत्तर आने दीजिये, जिस पर मा0 सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।

ससंदीय कार्यमंत्री के उत्तर से संतुष्ट न होने पर विपक्ष के मा0 सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया। श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वे सभी सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

स्वास्थ्य विभाग का राष्ट्रीय पुनरीक्षित टी0बी0 नियंत्रण कार्यक्रम के सही संचालन नही होने के कारण मंगलौर में टी0बी0 के मरीज की मृत्यु के सम्बन्ध में माननीय सदस्य काजी मौहम्मद निजामुद्दीन द्वारा विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्य मत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अधिसंख्या स्थानों पर पेयजल संकट ने उत्पन्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार द्वारा विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र जसपुर, जनपद ऊधमसिह नगर में सिचाई विभाग द्वारा नीलाम किये गये पेड़ों के अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा अन्य पेड़ों के अवैध कटान से व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान द्वारा विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र धारचूला के बिलिंग सम्बन्धी कार्य एवं मनरेगा से सम्बन्धित कार्य हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र को नेटवर्किंग सुविधा से जोड़ने अथवा पूर्व की तरह मैनुवल व्यवस्था अपनाये जाने के सम्बन्ध में। माननीय संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

शराब की स्पष्ट नीति न होने के कारण गली मौहल्लों में खोली जा रही शराब की दुकानों से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह एवं श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नेता प्रतिपक्ष एवं निम्न मा0 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये :–

काजी मौ0 निजामुद्दीन

श्री हरबंस कपूर

श्री हरभजन सिंह चीम

श्री नवीन दुम्का

श्री देशराज कर्णवाल

श्री मुन्ना सिंह चौहान

श्री विनोद चमोली

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना

वित्त मंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात् विधेयक पर चर्चा समाप्त हुई।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–174, खण्ड–1, अनुसूची–1, अनुसूची–2, अनुसूची–3, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुई है, वे इनमें से

''वर्षो से निर्मित मोटर मार्ग गैराखेत–बल्मरा–सराईखेत का वर्तमान तक सुधारीकरण व डामरीकरण न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में'' श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु तथा ''पौड़ी में चिन्वाड़ी–डांडा पम्पिंग पेयजल योजना के सम्बन्ध में'' श्री मुकेश सिंह कोली की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं इस पर मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने सभी सूचनाओं को स्वीकार करने का आग्रह किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे सभी सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर रहे है।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन की कार्यवाही अपराह्न 01 बजकर 40 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(प्रेमचन्द अग्रवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।